



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 29 जुलाई, 2025
श्रावण 7, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

संख्या 13/2025/914/94-2-2025-700(76)-2024

लखनऊ, 29 जुलाई, 2025

अधिसूचना
आदेश

प0आ0-145

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के शासकीय गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से समय-समय पर यथा संशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या सं०वि०क०नि०-5-462/XI-2006-500(92)-2005, दिनांक 23 फरवरी, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, शब्द "दस लाख" जहाँ कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "एक करोड़" रख दिया जायेगा।

आज्ञा से,
अमित गुप्ता,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 13/2025/914/ XCIV-2-2025-700(76)-2024, dated July 29, 2025 :

No. 13/2025/914/XCIV-2-2025-700(76)/2024

Dated Lucknow, July 29, 2025

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to the State of Uttar Pradesh *read* with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to make, with effect from the date of publication of this notification in the Official *Gazette*, the following amendment in Government notification no. S.V.K.N.5-462/XI-2006-500(92)-2005, dated February 23, 2006 as amended from time to time:-

AMENDMENT

In the aforesaid notification, *for* the words, "ten lakh", wherever occurring in the aforesaid notification, the words "one crore" shall be *substituted*.

By order,
AMIT GUPTA,
Pramukh Sachiv.